न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 148/2004/223 आर टी ए

1. नूपासिंह पुत्र किशनसिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. बूटासिंह पुत्र किशनसिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. मलकीतसिंह पुत्र किशनसिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. बलवीरसिंह पुत्र किशनसिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. गुरचरणसिंह पुत्र किशनसिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. सर्वजीतकौर पत्नि गुरदीपसिंह पुत्री दर्शनसिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. सरजीतकौर तथाकथित पत्नि दर्शनसिंह पत्नि मेलासिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. मेलासिंह पुत्र मलसिंह जाति जटसिख निवासी सन्तपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. हरबंसकौर पत्नि महेन्द्रसिंह पुत्री मलसिंह जाति जटसिख निवासी हेड़की तहसील धुरी जिला संगरूर।
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
6. एसआर संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 15.10.1990 न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया प्रकरण संख्या 30/1988 अनवानी सरवजीतकौर आदि बनाम मैलासिंह आदि

उपस्थित :–

श्री खुशप्रीतसिंह संधू अधिवक्ता अपीलाण्टस

श्री बलविन्द्रसिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री प्रद्युम्नसिंह परमार अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 2 व 3

निर्णय दिनांकः–13.09.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने रेस्पो0 सं. 3, 4, 5 व बिन्द्रसिंह के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया कि चक 5 केएसडी खाता सं. 32/2042 व चक 2 केएसडी के खाता सं. 59/2043 मे मेलासिंह व बिन्द्रसिंह के नाम 1/3 हिस्से मे 2/3 हिस्सा मेलासिंह व बिन्द्रसिंह तथा 1/3 हिस्सा रेस्पो0 सं. 1 व 2 के खातेदार काश्तकार है, की घोषणा की जावे जिसमे रेस्पो0 सं. 1 ता 3 आपस मे राजीनामा कर दावा डिक्री करवा लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कतई गलत व विधि विरूद्ध व न्यायिक दृष्टांतो के विपरीत है। अपीलांटस ने चक 5 केएसडी के कुल खाता 24.552 है0 मे से बिन्द्रसिंह के हिस्सा की आराजी जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 13.07.89 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर से मंजूरी लेकर 1.281 है0 क्रय की है जिसका अमल दरामद अपीलांटस के नाम जरिये इंतकाल सं. 63 दर्ज हो चुका है। अपीलांटस द्वारा उक्त आराजी क्रय करने के बाद रेस्पो0 सं0 1 व 3 ने दिनांक 15.10.90 को राजीनामा कर लिखकर वाद जरिये राजीनामा डिक्री करवा लिया तथा क्रय के दिन से ही अपीलांटस को चक 5 केएसडी की प्रश्नगत आराजी पर कब्जा था लेकिन रेस्पो0 सं. 1 ता 3 ने अपीलांटस को कोई सुनवाई हेतु नही बुलाया। जबकि उन्हे अपीलांटस के पक्ष मे हुए बैयनामा की जानकारी थी तथा मेलासिंह व बिन्द्रसिंह को उनके पिता मलसिंह से जरिये वसीयत दिनांक 24.12.1981 के आधार पर मलसिंह के हिस्से की आराजी मिली थी लेकिन उक्त वसीयत को रेस्पो0 सं0 1 व 2 ने किसी भी सक्षम न्यायालय मे चुनौती नही दी बिना वसीयत दिनांक 24. 12.1981 को चुनौती दी। अधीनस्थ न्यायालय ने जो सम्मन बिन्द्रसिंह के नाम जारी किऐ है तथा सम्मन पर तामील कुनिन्दा ने रिपोर्ट की है कि सायल बिन्द्रसिंह गांव हेड़की पंजाब मे आबाद है संतपुरा मे नही रहता है जिस पर तामील कुनिन्दा लक्ष्मीनारायण व चौकीदार दानाराम के हस्ताक्षर है। रेस्पो0 सं. 2 ने पूर्व पति दर्शनसिंह की मृत्यु के बाद रेस्पो0 सं. 3 से शादी कर ली जिससे रेस्पो0 सं. 2 व 3 के नुत्फे से बच्चे पैदा हुए इसलिए रेस्पो0 सं. 1 ता 3 ने बिन्द्रसिंह का हक मारने के लिए उक्त वाद गलत पेश किया था जबकि बिन्द्रसिंह ने दिनांक 13.07.89 को अपीलांटस को अपने हिस्से की आराजी बैय कर दी तथा कब्जा 1.282 है0 आराजी का सौंप दिया तथा वर्तमान मे उक्त भूमि पर कब्जा काश्त अपीलांटस का है। रेस्पो0 सं. 1 ता 3 ने जो डिक्री दिनांक 15.10.1990 को प्राप्त की है उसमे अपीलांटस पक्षकार नही थे तथा अपीलांट पीड़ित पक्षकार है तथा अपीलांटस बतौर तृतीय पक्षकार अपील प्रस्तुत कर रहे है। अपीलांट अपनी भूमि पर ऋण लेने के लिए तहसीलदार संगरिया से दिनांक 25.11.04 को नकल जमाबंदी ली तो उस समय अपने नाम दर्ज आराजी अपने हिस्सा से कम देखी तो अपीलांट ने पता किया कि अपीलांटस के नाम आराजी कम कैसे दर्ज हुई। इस पर अपीलांट को निर्णय व डिक्री दिनांक 15.10.1990 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 01.12.2004 को हुई। इसलिये अपील ज्ञान से अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि स्व. मलसिंह के नाम से दर्ज थी जो मलसिंह की मृत्यु के उपरांत विरासतन रेस्पो0 सं. 3 मेलासिंह व बिन्द्रसिंह के नाम से दर्ज हुई रेस्पो0 सं. 1 व 2 दर्शनसिंह पुत्र मलसिंह के वारिस है और रेस्पो0 अपने दादा मलसिंह की आराजी मे से 2/3 हिस्सा की हकदार है चूंकि रेस्पो0 सं. 1 व 2 के पति दर्शनसिंह पहले ही फौत हो चुके थे इस कारण रेस्पो0 मेलासिंह व बिन्द्रसिंह ने उक्त आराजी का इंतकाल अपने नाम से दर्ज करवा लिया। बिन्द्रसिंह गठिया बाव से पीड़ित रहता है और वह बिना शादीशुदा है व किसी भी प्रकार का काम नही कर सकता।

इस कारण उक्त रेस्पो0 काश्त करते है व रेस्पो0 के ही कब्जा काश्त मे हैं इसलिये वादग्रस्त भूमि मे से 2/3 हिस्सा की की रेस्पो0 सं. 1 व 2 वादियागण को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने बाबत अनुतोष चाहा गया जिसमे वादीगण एवं मेलासिंह ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री रेस्पो0 के पक्ष मे पारित की है जो सही एवं विधि सम्मत है। अपीलांट का यह तर्क कि वादग्रस्त भूमि मेलासिंह व बिन्द्रसिह को जरिये वसीयत प्राप्त हुई है, कतई निराधार है। वादग्रस्त भूमि जद्दी जायदाद है जिसमे मलसिंह के समस्त वारिसान का बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा निहित था परन्तु रिकार्ड मे मलसिंह की मृत्यु के बाद मेलासिह व बिन्द्रसिंह ने अकेले अपने नाम विरासतन इंतकाल दर्ज करवा लिया जो विधि पूर्ण नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज होने से खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा यह उक्त अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाण्ट पक्षकार नही था इसलिए बतौर तृतीय पक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी विधि सम्मत होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जाती है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ''वादग्रस्त भूमि स्व. मलसिंह के नाम से दर्ज थी जो मलसिंह की मृत्यु के उपरांत विरासतन रेस्पो0 सं. 3 मेलासिंह व बिन्द्रसिंह के नाम से दर्ज हुई रेस्पो0 सं. 1 व 2 दर्शनसिंह पुत्र मलसिंह के वारिस है और रेस्पो0 अपने दादा मलसिंह की आराजी मे से 2/3 हिस्सा की हकदार है चूंकि रेस्पो0 सं. 1 व 2 के पति दर्शनसिंह पहले ही फौत हो चुके थे इस कारण रेस्पो0 मेलासिंह व बिन्द्रसिंह ने उक्त आराजी का इंतकाल अपने नाम से दर्ज करवा लिया। बिन्द्रसिंह गठिया बाव से पीड़ित रहता है और वह बिना शादीशुदा है व किसी भी प्रकार का काम नही कर सकता। इस कारण उक्त रेस्पो0 काश्त करते है व रेस्पो0 के ही कब्जा काश्त मे हैं इसलिये वादग्रस्त भूमि मे से 2/3 हिस्सा की की रेस्पो0 सं. 1 व 2 वादियागण को खातेदार काश्तकार घोषित करवाने बाबत अनुतोष चाहा गया वादग्रस्त भूमि अपीलांटा के पिता दर्शनसिंह के नाम दर्ज थी तथा रेस्पो0 सं. 1 ता 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दर्शनसिंह द्वारा अपने दो पुत्रो कुलदीप सिंह एवं यादविन्द्र सिंह के पक्ष मे निष्पादित वसीयत के आधार पर वाद प्रस्तुत कर घोषणा अनुतोष चाहा गया जिसमे मेलासिंह द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया और राजीनामा के आधार पर वादग्रस्त भूमि की डिक्री रेस्पो0 सं. 1 व 2 के पक्ष मे पारित कर दी गई जबकि वादग्रस्त भूमि 2.563 है0 जो मेलासिंह व बिन्द्रसिंह के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज थी जिसमे बिन्द्रसिंह ने अपने हक व हिस्सा 1.282 है0 आराजी अपीलांटस को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 13.07.89 को बैय कर दी थी जिसका अमल दरामद भी अपीलांटस के नाम से दर्ज हो गया परन्तु रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा अपीलांटस को पक्षकार नही बनाते हुए केवल मात्र मेलासिंह व बिन्द्रसिह को पक्षकार बनाया जाकर

दावा डिक्री करवा लिया गया। वादग्रस्त भूमि के रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर तथा बैयनामा के आधार पर हुये नामान्तरण के अनुसार अपीलांटस वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा दावा मे आवश्यक पक्षकार थे जिसे पक्षकार बनाये जाकर साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर घोषणा के वाद का निस्तारण किया जाना अपेक्षित था। परन्तु अपीलांटा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पक्षकार नही बनाया गया जिससे अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हो सका ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय त्रुटि प्रतीत होने के कारण अपील अपीलांटस स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15.10.1990 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को प्रकरण मे बतौर पक्षकार संयोजित किया जाकर साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पुनः निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.10.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्याायलय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा)आर..ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official